समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या–70/2022–23
जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)
–बनाम्–
भागीरथ महतो एवं अन्य
–::आदेश::–

28.07.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–13/2022, दिनांक–28.09.2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि नावाडीह थाना कांड सं0–79/2019, दिनांक–09.09.2019, धारा–414/34 भा0द0वि0 एवं 30(II) कोल माईन्स एक्ट के अन्तर्गत जप्त 1. होण्डा साईन रजि0 नं0–JH10AS-9250 एवं उस पर लदा 2 क्विंटल अवैध कच्चा कोयला वाहन मालिक श्री भागीरथ महतो पिता डिम्भू महतो सा0–पिपराटाड़, पो0–खरखरी, थाना मधुबन, जिला धनबाद 2. होण्डा साईन ईंजन नं0–JC65E70330853 एवं उस पर लदा 2 क्विंटल अवैध कच्चा कोयला वाहन मालिक श्री संजीत कुमार महतो पिता कालीचरण महतो, सा0–कुरपनिया, थाना कतरास (कपुरी ओ0पी0) जिला धनबाद 3. प्लेटिना रजि0 नं0–JH10AE-9360 एवं उस पर लदा 2 क्विंटल अवैध कच्चा कोयला वाहन मालिक संजय कुमार महतो पिता लिलु महतो सा0–रेहवा, नावाडीह, तपंगा, जिला धनबाद 4. हीरो स्पेलन्डर रजि0 नं0–JH09Y-2802 एवं उस पर लदा 2 क्विंटल अवैध कच्चा कोयला वाहन मालिक सुरेश चन्द्र बाउरी, पिता हरिलाल बाउरी, सा0–चमसोबाद, पो0–खमारबेन्दी, थाना–चास, जिला बोकारो 5. ग्लैमर रजि0 नं0–JH09N-0231 एवं उस पर लदा 2 क्विंटल अवैध कच्चा कोयला वाहन मालिक रमेश कुमार रिंह पिता सुन्दर सिंह, सा0–करमाटाँड़, थाना–दूग्दा, जिला बोकारो 6. हीरो होण्डा ईंजन नं0–97EJ17E03205 एवं उस पर लदा 2 क्विंटल अवैध कच्चा कोयला 7. क्वासिकी बॉक्सर ईंजन नं0– DEMBAM77876 एवं उस पर लदा 3 क्विंटल अवैध कच्चा कोयला के विरूद्ध बिना परिवहन चलान के परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप उनके The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal

Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं उस पर लदे कोयला खनिज को राजसात् की कार्यवाही करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

वाद का सारांश है कि दिनांक–09.09.2019 को थाना प्रभारी नावाडीह को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम गुंजरडीह में कुछ मोटरसाईकिल पर तारणी कोलयरी से स्टीम कोयला का चोरी कर मोटरसाईकिल में कोयला लोड कर बाहर के मंडियों में अत्यधिक मुनाफा कमाने हेतु ले जाया जा रहा है। सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस बल के साथ जैसे ही थाना प्रभारी गुंजरडीह से तेलो जाने वाली पक्की सड़क पर पहुँचे तो देखे कि सात मोटरसाईकिल सवार जिसपर बोरे में कोयला लोड कर तेलो की ओर जा रहे थे। मोटरसाईकिल सवार पुलिस गाड़ी को देखकर अपना–अपना मोटरसाईकिल छोड़कर भागने लगा। जिसे पकड़ने का प्रयास किया गया लेकिन वे लोग जंगल–झाड़ी का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गए। मोटरसाईकिल के पास जाकर जाँच करने पर छः मोटरसाईकिल में दो–दो क्विंटल कोयला एवं एक मोटरसाईकिल पर तीन क्विंटल कोयला लदा हुआ पाया गया। तत्पश्चात विधिवत रूप से जप्ती सूची बना कर जप्त वाहन एवं उस पर लदा कोयला तथा वाहन के मालिक/चालक के विरूद्ध नावाडीह थाना में काण्ड दर्ज किया गया।

उक्त के क्रम में वाहन के मालिकों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

सूचना प्राप्त करने के पश्चात प्रतिवादी सं0–1 श्री भागीरथ महतो के द्वारा एक शपथ–पत्र दाखिल कर सूचित किया गया है कि उनकी गाड़ी होण्डा साईन रजि0 नं0–JH10AS-9250 चोरी कर ली गई थी और किसी व्यक्ति के द्वारा कोयला चोरी का कार्य किये जाने के क्रम में पकड़ा गया। उक्त वाहन के चोरी के संबंध में मधुबन थाना में एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया था, जिसका थाना काण्ड सं0–91/2018 है। वर्तमान में उन्हें उक्त गाड़ी से कोई लेना–देना नहीं है। प्रतिवादी सं0–2 संजीत कुमार महतो की ओर लिखित जबाब दाखिल किया गया है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत वाहन होण्डा साईन ईंजन

Scanned with OKEN Scanner

नं0–JC65E70330853 उनका है। उनके द्वारा कहा गया कि उनका वाहन दिनांक–25.12.2018 को चोरी हो गया था। जिसके लिए महुदा थाना में सनहा सं0–16/18 दिनांक–26.12.2018 दर्ज किया गया था। इसलिए प्रश्नगत वाहन पर लदे 02 क्विंटल कोयला से उनका कोई लेना–देना नहीं है। अतः उनके द्वारा प्रश्नगत वाहन को विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। प्रतिवादी सं0–3 को भेजा गया नोटिस बिना तामिला के वापस प्राप्त है। उक्त वाहन एवं उस पर लदे कोयला के संदर्भ में अब तक किसी के द्वारा भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी सं0–4 के द्वारा एक आवेदन पत्र के द्वारा सूचित किया गया है कि हीरो स्पेलन्डर रजि0 नं0–JH09Y-2802 के वे वैध मालिक थे। दिनांक–29.05.2018 को प्रश्नगत मोटरसाईकिल से जी0आर0 केश सं0–1833/2013 में गवाही देने के लिए व्यवहार न्यायालय, बोकारो आए थे। गवाही के पश्चात जब अपने गाड़ी के पास आया तो मेरी गाड़ी वहाँ नहीं मिली। अज्ञात चोरों के द्वारा मेरी गाड़ी को चोरी कर लिया गया। जिसके लिए मेरे द्वारा बी0एस0सिटी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसका काण्ड सं0–132/2018 है। उक्त वाहन से अवैध कार्य किया गया है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। प्रतिवादी सं0–5 को निबंधित डाक से नोटिस भेजे जाने के बाद भी वह सुनवाई के दौरान पुकार पर लगातार अनुपस्थित है। उनके द्वारा अपने बचाव में अब तक किसी भी प्रकार का कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। प्रतिवादी सं0–6 एवं 7 के वाहन का रजिस्ट्रेशन सं0 अंकित नहीं रहने के कारण वाहन के मालिक का पता नहीं चला। जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक–175/परि0, दिनांक–25.01.2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि दोनो वाहनों के ऑनलाईन जाँचोपरान्त वाहन की विवरणी प्रदर्शित नहीं हो रहा है। हीरो होण्डा ईंजन नं0–97EJ17E03205 एवं उस पर लदा 2 क्विंटल अवैध कच्चा कोयला तथा क्वासिकी बॉक्सर ईंजन नं0–DEMBAM77876 एवं उस पर लदा 3 क्विंटल अवैध कच्चा कोयला के संदर्भ में अब तक किसी के द्वारा भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत वाहन के चालक/मालिक के द्वारा बिना परिवहन चालान के ही कोयले का परिवहन किया जा रहा था। बिना वैध कागजात के कोयले का परिवहन करने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है। अतः जप्त वाहन को अवैध रूप से कोयला का खनन कर परिवहन करने के आरोप में The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के तहत विपक्षियों को किसी भी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है। अतः जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–13/2022, दिनांक–28.09.2022 को स्वीकृत करते हुए नावाडीह थाना कांड सं0–79/2019, दिनांक–09.09.2019 अन्तर्गत जप्त 1. होण्डा साईन रजि0 नं0–JH10AS-9250 एवं उस पर लदा दो क्विंटल कच्चा कोयला 2. होण्डा साईन ईंजन नं0–JC65E70330853 एवं उस पर लदा दो क्विंटल कच्चा कोयला 3. प्लेटिना रजि0 नं0–JH10AE-9360 एवं उस पर लदा दो क्विंटल कच्चा कोयला 4. हीरो स्पेलन्डर रजि0 नं0–JH09Y-2802 एवं उस पर लदा दो क्विंटल कच्चा कोयला 5. ग्लैमर रजि0 नं0–JH09N-0231 एवं उस पर लदा दो क्विंटल कच्चा कोयला 6. हीरो होण्डा ईंजन नं0–97EJ17E03205 एवं उस पर लदा दो क्विंटल कच्चा कोयला 7. क्वासिकी बॉक्सर ईंजन नं0– DEMBAM77876 एवं उस पर लदा तीन क्विंटल कच्चा कोयला को राज्य सरकार के हित में राजसात् (Confiscate) किया जाता है साथ ही जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को निदेश दिया जाता है कि जप्त अवैध कोयला को निलामी के माध्यम से बिक्री कर प्राप्त राशि नजारत अथवा उचित शीर्ष में जमा करना सुनिश्चत करेंगें। उपरोक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तद्नुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

28.7.23	28.7.23
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी बोकारो।	समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.15 17:35:13 +05:30
Location: 192.168.1.101

Scanned with OKEN Scanner